

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 230]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सा.का.नि. 289(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा, आयकर विभाग (निरीक्षक) भर्ती नियमावली, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :-

1. (क) इन नियमों को आयकर विभाग (निरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. आयकर विभाग (निरीक्षक) भर्ती नियमावली, 1969 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, यथा-

कॉलम 6

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा '30 वर्ष से अनाधिक'।

(केंद्र सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

नोट: आयु सीमा के निर्धारण के लिए निश्चित तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन में दी गई होगी।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रधान नियमावली को सा.का.नि. संख्या 2800, दिनांक 20.12.1969 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3 (i) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें सा.का.नि. संख्या 1372, दिनांक 19.12.1974 और सा.का.नि. संख्या 1099, दिनांक 20.08.1977 और सा.का.नि. संख्या 768, दिनांक 08.09.1986 के द्वारा संशोधन किया गया है। यह संशोधन डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी.14017/48/2010-स्थापना (आरआर), दिनांक 31.12.2010 में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षित प्रभाव से किए गए संशोधन से इसके पूर्व के नियमों में मौजूद इसी प्रकार के किसी भी प्रावधान पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/188/01/2016-17/160/2017-एडी.VII]

जती सिंह मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2017

G.S.R. 289(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Income Tax Department (Inspector) Recruitment Rules, 1969, namely:-

1. (a) These rules may be called the Income Tax Department (Inspector) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
(b) They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Schedule to the Income Tax Department (Inspector) Recruitment Rules, 1969, the following amendments shall be made namely-

Column 6

i) for the existing entry, the following entry shall be substituted namely:-

‘Not exceeding 30 years’

(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff selection Commission.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Principal Rules were published in Part-II Section 3(i) of the Gazette of India vide G.S.R. No. 2800 dated the 20th December 1969, and subsequently amended vide G.S.R. No. 1372 dated the 19th December 1974 and G.S.R. No. 1099 dated the 20th August 1977 and G.S.R. No. 768 dated the 8th September 1986. This amendment is as per guidelines of DoPT OM No. AB.14017/48/2010-Estt (RR) dated 31st December 2010.

It is also certified that the amendment from a retrospective date will not affect any one adversely as similar provision existed in the earlier rules.

[F. No. HRD/CM/188/01/2016-17/160/2017-Ad.VII]

JATI SINGH MEENA, Under Secy,